कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

क्रमांक: 413 /98/आउशि/शाखा(5'अ')/2014 भोपाल दिनांक:01 जुलाई, 2014

प्रति,

प्राचार्य
समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश

विषय: **सत्र 2014-2015 में स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश विषयक.**
सन्दर्भ: प्रवेश मार्गदर्शी सिद्धांत 2014-15 दिनांक 25 अप्रैल 2014.

उपरोक्त विषयान्तर्गत स्नातक प्रथम सेमेस्टर हेतु आवेदकों को उनकी गुणानुक्रमानुसार एवं व्यक्त वरीयताओं के आधार पर श्रेणी तथा संवर्गवार प्रथम चरण के सीट आवंटन जारी किये जा रहे हैं. आवेदक www.epravesh.nic.in पोर्टल पर अपना पंजीयन क्रमांक एवं सीक्रेट कुंजी **(secret key)** डालकर अपना सीट आवंटन जान सकते हैं, एवं आवंटन होने की स्थिति में अपना सीट आवंटन पत्र प्रिंट कर सकते हैं|

स्नातक प्रथम चरण में आवेदक सीट आवंटन प्राप्त होने पर सम्बंधित महाविद्यालय में दिनांक **02 जुलाई से 05 जुलाई 2014** तक शुल्क जमा कर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर सकता है |

स्नातकोत्तर प्रथम चरण में आवेदक सीट आवंटन प्राप्त होने पर सम्बंधित महाविद्यालय में दिनांक **04 जुलाई से 07 जुलाई 2014** तक शुल्क जमा कर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर सकता है |

आवेदकों की सुविधा के लिए पोर्टल पर महाविद्यालयवार एवं कोर्सवार कट-ऑफ प्रतिशत उपलब्ध रहेगा | आवेदक महाविद्यालय का कोड क्रमांक एवं कोर्स का कोड क्रमांक डालकर कोर्स विशेष के कटऑफ उस महाविद्यालय के लिए देख सकता है| विशेष परिस्थितियों में जहाँ किसी आवेदक के प्रतिशत 90 या अधिक हों तथा उसे 10% या अधिक का अधिभार दिया गया हो कटऑफ प्रभावी प्रतिशत 100% या उससे अधिक भी दिख सकता है| इसी प्रकार अधिभार कोड 37 के लिए जिसमें आवेदक को Outright प्रवेश दिया जाना है, में प्रभावी प्रतिशत 100% दिखेगा.

नियमानुसार आवेदकों के संकाय परिवर्तन के समय 5% अंक कम करते हुए प्रभावी प्रतिशत पर गुणानुक्रम निर्धारित किया गया हैं| इसी प्रकार अधिभार जोड़ने के बाद प्राप्त प्रतिशत (प्रभावी प्रतिशत) पर गुणानुक्रम निर्धारित किया गया हैं| विस्तृत दिशा निर्देश संदर्भित प्रवेश एवं मार्गदर्शी सिद्धांत 2014-15 में दिए गए हैं|

स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर हेतु प्रथम चरण के विस्तृत दिशा निर्देश पोर्टल पर पृथक से जारी किये जा रहे हैं। बी.ए. स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु विस्तृत प्रवेश प्रक्रिया भी साथ ही जारी की जा रही है। इन दिशा निर्देशों के पालन में ही प्रवेश सुनिश्चित किये जायें।

प्रवेशित आवेदकों के फोटो महाविद्यायल द्वारा दिनांक 30 जुलाई 2014 तक आवश्यक रूप से स्कैन करते हुए पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। इसे यथासंभव प्रवेश प्रक्रिया की निरंतरता के साथ ही प्रवेशित छात्र के फोटो भी अपलोड करें जिससे अंतिम तिथि में अनावश्यक भार न पड़े। आवेदक से फोटो लेते समय फोटो के पीछे उसका पंजीयन क्रमांक, नाम तथा कोर्स कोड आवश्यक रूप से लिखवाएं।

प्रवेश की एंट्री www.epravesh.nic.in पोर्टल पर प्रवेश अधिकारी अपने लॉग इन आई.डी. एवं पासवर्ड से करेंगे। आवंटित आवेदक की प्रवेश के समय एंट्री करते समय यदि आवेदक के पंजीयन के भुगतान के सम्बन्ध में "payment not done" लिखा आये तब आवेदक से पंजीयन के भुगतान की रसीद (बैंक चालान या इन्टरनेट की रसीद) की जानकारी का परीक्षण कर बैंक का नाम तथा भुगतान दिनांक निर्धारित स्थान पर दर्ज करेंगे। इसके बाद ही आवेदक का प्रवेश ऑनलाइन दर्ज हो सकेगा। यह जानकारी सही भरने की सम्पूर्ण जबाबदारी प्रवेश देने वाले महाविद्यालय की होगी।

आवेदक को सीट आवंटन होने मात्र से उसे प्रवेश की पात्रता नहीं है। महाविद्यालय आवंटित आवेदक को प्रवेश देने के पूर्व आवेदक की पात्रता का परीक्षण करने का बाद ही प्रवेश देवें। आवेदक की पात्रता पूर्ण नहीं करने पर उसे प्रवेश नहीं देवें।

कोई भी संशय होने पर प्रवेश एवं मार्गदर्शी सिद्धांत 2014-15 का पालन करते हुए प्रवेश देवें। आवंटन के सम्बन्ध में किसी भी जानकारी के लिए हेल्प लाइन दूरभाष क्रमांक 0755-2551698, 0755-2554763 पर संपर्क कर सकते हैं।

1.7.14
(के. एम. जैन)
संयुक्त संचालक

पृष्ठांकन क्रमांक: 414 /98/आउशि/शाखा(5'अ')/2014 भोपाल दिनांक:01 जुलाई, 2014

प्रतिलिपि:

1) **समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश**
2) **राज्य सूचना अधिकारी, राज्य सूचना केन्द्र, विन्ध्याचल भवन, भोपाल**

1.7.14
(के. एम. जैन)
संयुक्त संचालक